

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 4409 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 31/3/2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्द्रा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- हरिनगरी-प्यां से दाबू हड्डाप मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 10042/2015)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 31.03.2016।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 31.03.2016 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3626/12-1 दिनांक 01.04.2016 को ऑनलाईन के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 3160/12-1 दिनांक 07.05.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है—

1	Short narrative of the project does not give adequate information in part	Details narrative for the project is given in justification and report my kindly seen.
2	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proplasal online uploaded on 11.02.2015 by sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A Photo copy of his authority letter is being uploaded for information.
3	Total period for which forest land to be diverted is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced Digital map may kindly seen.
4	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I	For 50 year has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marked digitally on geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in part I and II. Googal map is not acceptable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsil Bageshwar. A revised Geo-referenced Digital map for Ca is being uploaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक

3160 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक :

07/08/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - आनलाईन प्रस्ताव हरिनगरी-पयां मोटर-मार्ग से दाबू हड्डाप तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 1004210133/2015)।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 3626/12-1 दिनांक 01.04.2016
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि हरिनगरी-पयां मोटर-मार्ग से दाबू हड्डाप स्तर से निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित किया गया है।

1	Short narrative of the project does not give adequate information in part	Details nerrrative for the project is given in justification and report my kindly seen.
2	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proplasal online uploaded on 11.02.2015 by sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A Photo copy of his authority letter is being uploaded for information.
3	Total period for which forest land to be diverted is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced Dijgital map may kindly seen.
4	Totla period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I	For 50 year has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marded digitally on geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designatd place in part I and II. Googal map is not accepatable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsiiil Bageshwar A revised Geo-referenced Digital map for Ca is being uploaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.

6	Ownership details, Kharsha number and copy of MOU signed regarding CA site between owner and the user ahency is not uploaded in part I for the area indentified for CA.	The CA proposed in is within apporoved land bank by State Govt and already handed over to Forest Department for administrative control as per D.M letter no 558/XXVI-Ban/2010-11 dated 02.07.2010 /A copy of above letter along with land scheldule and certificate is attached.
7	As par detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I reagading prior appoved case is need to be mentaioned.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya Motor road. Information regarding prior approval is being enclosed herewith.
8	The muck disposal is proposed with in ROW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced google map. The Area for muck dumping site is already included in land schedule of state land as mentioned in item 7of Muck disposal plan.
9	Part II, II, III.IV and V filled in online form in not provided with the hard copy of the proposal.	It wil be provided by State Govt.

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नक— यथोपरि

भवदीय


(एम०बी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

५



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर
e-mail : sepwd_bgr@rediffmail.com



पत्रांक ६० / वृत्त लोक निर्माण

दिनांक १६/१/२०१५

— कार्यालय ज्ञाप :-

ई० महेन्द्र कुमार, जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत है, को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव को ऑनलाइन कराने के लिए अधिकृत किया जाता है।

M. S. K.
अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
अधीक्षण अभियन्ता
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि,

उक्त दिनांक।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१— ई० महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

कैटरीडर ब्रॉडब्रॉड



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग।

18/1/16

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या :- 71 / रोका / कपकोट / 2014-15 / दिनांक 09/01/2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खंड, लोनिवि०, बागेश्वर।

विषय— वन भूमि प्रस्तावों को on line करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2336/2 ई०व०भ० दिनांक दिसम्बर, 22 2014 जो जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित है, का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के पृष्ठांकन आदेश सं० 1200 / छब्बीस-वन / 2014-15 दि० 24.12. 2014 के क्रम में पत्र में उल्लिखित तहसील कपकोट से सम्बन्धित क.सं. 1, 4/ 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल की खतौनी राजस्त उप निरीक्षक, कर्मी, लोहारखेत एवं शामा से प्राप्त हैं, संलग्न कर प्रेषित हैं।



अतः उक्तानुसार वांछित खतौनी प्रेषित हैं।

संलग्नक :- 03 किता।


तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी बागेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार
कपकोट।



तहसील उपाधीन
कार्यालय कपकोट
महोदय





1.9
गृह नं १०० वर्तमान उद्धरण ग्राम - बड़ुंगा राजपति - लिंगरेल तहसील - जिला
जोनपुर - उत्तर प्रदेश ।

Land Schedule.

स्कॉल ए (३) रब लाइन नं १-

रक्षा नं	नाम संकेतान्	माला नं	वर्णन नं	रक्षा	विभाग
90	— चौड़ी गोल		९४९	२६॥	
			२४९	३४०	
			२४२	२३।	
			२४३	६५	
			२४४	३५-	
			२४५	२८=	
			२४६	४०॥८	
			२४७	१०।	
			२४८	४३	
			२४९	२६।८	
			२५०	३०।८	
			२५१	४८=	
			२५२	६७"	
			२५३	४४	
			२५४	४४=	
			२५५	४४॥८	
			२५६	४६।	
			२५७	४०	
			२५८	४६॥८	
			२५९	४२॥	
			२६०	१६॥८	
			२६१	४२।८	
			२६२	२२=	
			२६३	२२॥८	
			२६४	२२॥८	
			२६५	२२॥८	
			२६६	२२॥८	
			२६७	२२॥८	
			२६८	२२॥८	
			२६९	२२॥८	
			२७०	२२॥८	
			२७१	२२॥८	
			२७२	२२॥८	
			२७३	२२॥८	
			२७४	२२॥८	
			२७५	२२॥८	
			२७६	२२॥८	
			२७७	२२॥८	
			२७८	२२॥८	
			२७९	२२॥८	
			२८०	२२॥८	
			२८१	२२॥८	
			२८२	२२॥८	
			२८३	२२॥८	
			२८४	२२॥८	
			२८५	२२॥८	
			२८६	२२॥८	
			२८७	२२॥८	
			२८८	२२॥८	
			२८९	२२॥८	
			२९०	२२॥८	
			२९१	२२॥८	
			२९२	२२॥८	
			२९३	२२॥८	
			२९४	२२॥८	
			२९५	२२॥८	
			२९६	२२॥८	
			२९७	२२॥८	
			२९८	२२॥८	
			२९९	२२॥८	
			२१०	२२॥८	
			२११	२२॥८	
			२१२	२२॥८	
			२१३	२२॥८	
			२१४	२२॥८	
			२१५	२२॥८	
			२१६	२२॥८	
			२१७	२२॥८	
			२१८	२२॥८	
			२१९	२२॥८	
			२२०	२२॥८	
			२२१	२२॥८	
			२२२	२२॥८	
			२२३	२२॥८	
			२२४	२२॥८	
			२२५	२२॥८	
			२२६	२२॥८	
			२२७	२२॥८	
			२२८	२२॥८	
			२२९	२२॥८	
			२२१०	२२॥८	
			२२११	२२॥८	
			२२१२	२२॥८	
			२२१३	२२॥८	
			२२१४	२२॥८	
			२२१५	२२॥८	
			२२१६	२२॥८	
			२२१७	२२॥८	
			२२१८	२२॥८	
			२२१९	२२॥८	
			२२२०	२२॥८	
			२२२१	२२॥८	
			२२२२	२२॥८	
			२२२३	२२॥८	
			२२२४	२२॥८	
			२२२५	२२॥८	
			२२२६	२२॥८	
			२२२७	२२॥८	
			२२२८	२२॥८	
			२२२९	२२॥८	
			२२२१०	२२॥८	
			२२२११	२२॥८	
			२२२१२	२२॥८	
			२२२१३	२२॥८	
			२२२१४	२२॥८	
			२२२१५	२२॥८	
			२२२१६	२२॥८	
			२२२१७	२२॥८	
			२२२१८	२२॥८	
			२२२१९	२२॥८	
			२२२२०	२२॥८	
			२२२२१	२२॥८	
			२२२२२	२२॥८	
			२२२२३	२२॥८	
			२२२२४	२२॥८	
			२२२२५	२२॥८	
			२२२२६	२२॥८	
			२२२२७	२२॥८	
			२२२२८	२२॥८	
			२२२२९	२२॥८	
			२२२२१०	२२॥८	
			२२२२११	२२॥८	
			२२२२१२	२२॥८	
			२२२२१३	२२॥८	
			२२२२१४	२२॥८	
			२२२२१५	२२॥८	
			२२२२१६	२२॥८	
			२२२२१७	२२॥८	
			२२२२१८	२२॥८	
			२२२२१९	२२॥८	
			२२२२२०	२२॥८	
			२२२२२१	२२॥८	
			२२२२२२	२२॥८	
			२२२२२३	२२॥८	
			२२२२२४	२२॥८	
			२२२२२५	२२॥८	
			२२२२२६	२२॥८	
			२२२२२७	२२॥८	
			२२२२२८	२२॥८	
			२२२२२९	२२॥८	
			२२२२२१०	२२॥८	
			२२२२२११	२२॥८	
			२२२२२१२	२२॥८	
			२२२२२१३	२२॥८	
			२२२२२१४	२२॥८	
			२२२२२१५	२२॥८	
			२२२२२१६	२२॥८	
			२२२२२१७	२२॥८	
			२२२२२१८	२२॥८	
			२२२२२१९	२२॥८	
			२२२२२२०	२२॥८	
			२२२२२२१	२२॥८	
			२२२२२२२	२२॥८	
			२२२२२२३	२२॥८	
			२२२२२२४	२२॥८	
			२२२२२२५	२२॥८	
			२२२२२२६	२२॥८	
			२२२२२२७	२२॥८	
			२२२२२२८	२२॥८	
			२२२२२२९	२२॥८	
			२२२२२२१०	२२॥८	
			२२२२२२११	२२॥८	
			२२२२२२१२	२२॥८	
			२२२२२२१३	२२॥८	
			२२२२२२१४	२२॥८	
			२२२२२२१५	२२॥८	
			२२२२२२१६	२२॥८	
			२२२२२२१७	२२॥८	
			२२२२२२१८	२२॥८	
			२२२२२२१९	२२॥८	
			२२२२२२२०	२२॥८	
			२२२२२२२१	२२॥८	
			२२२२२२२२	२२॥८	
			२२२२२२२३	२२॥८	
			२२२२२२२४	२२॥८	
			२२२२२२२५	२२॥८	
			२२२२२२२६	२२॥८	
			२२२२२२२७	२२॥८	
			२२२२२२२८	२२॥८	
			२२२२२२२९	२२॥८	
			२२२२२२२१०	२२॥८	
			२२२२२२२११	२२॥८	
			२२२२२२२१२	२२॥८	
			२२२२२२२१३	२२॥८	
			२२२२२२२१४	२२॥८	
			२२२२२२२१५	२२॥८	
			२२२२२२२१६	२२॥८	
			२२२२२२२१७	२२॥८	
			२२२२२२२१८	२२॥८	
			२२२२२२२१९	२२॥८	
			२२२२२२२२०	२२॥८	
			२२२२२२२२१	२२॥८	
			२२२२२२२२२	२२॥८	
			२२२२२२२२३	२२॥८	
			२२२२२२२२४	२२॥८	
			२२२२२२२२५	२२॥८	
			२२२२२२२२६	२२॥८	
			२२२२२२२२७	२२॥८	
			२२२२२२२२८	२२॥८	
			२२२२२२२२९	२२॥८	
			२२२२२२२२१०	२२॥८	
			२२२२२२२२११	२२॥८	
			२२२२२२२२१२	२२॥८	
			२२२२२२२२१३	२२॥८	
			२२२२२२२२१४	२२॥८	
			२२२२२२२२१५	२२॥८	
			२२२२२२२२१६	२२॥८	
			२२२२२२२२१७	२२॥८	
			२२२२२२२२१८	२२॥८	
			२२२२२२२२१९	२२॥८	
			२२२२२२२२२०	२२॥८	
			२२२२२२२२२१	२२॥८	
			२२२२२२२२२२	२२॥८	
			२२२२२२२२२३	२२॥८	
			२२२२२२२२२४	२२॥८	
			२२२२२२२२२५	२२॥८	
			२२२२२२२२२६	२२॥८	
			२२२२२२२२२७	२२॥८	
			२२२२२२२२२८	२२॥८	
			२२२२२२२२२९	२२॥८	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पयां सोटर मार्ग का दाबू हड्डाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.06 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 12.120 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम बगड़ुँगरा तहसील बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 26 में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 10 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ख - अन्य वन में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558 / 26- वन / 2010-11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार द्वारा 12.120 हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न— उक्तानुसार

Chitrabhanu
18.4.16
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर ८०२५११६

1. 10

मूल

M.O.U

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या.- 558 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 02 जून 2010
कुलदर्श

सेवामें

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड,

लोक निर्माण विभाग,

बागेश्वर ॥ 1

विषय:-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग
के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0व0भू०
दिनांक: 02 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में
रथानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलदार कुल भूमि- 1402.678 है० ली सूचना / रवीकृति हेतु इस
कार्यालय के पत्र संख्या- 172 / छव्वीस-वन / 2008-09 दिनांक: 02 फरवरी, 2009 से शासन
को प्रेषित की गई थी, जिसकी रवीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii
(2) / 2009 दिनांक: 20 मार्च, 2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का
रथलीय कब्जा वन विभाग को वेते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 है० भूमि पर
प्रामाणियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है० भूमि को चिन्हित भूमि से
पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है० भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में
रथानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग
के प्रशासनिक नियन्त्रण में रथानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है।
जिसकी रूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता,
लो०नि�०वि० बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको
पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 552 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 29
जून, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की
उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र
अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Steno
Date 26.7.10
Signature

कृते जिलाधिकारी
प्रभारी अधिकारी
राजीव खण्ड लो० नि�० वि०
बागेश्वर २६/७/१०

कृते २६/७/१० जारी

राजीव खण्ड लो० नि�० वि०
प्रभारी अधिकारी वन प्रभाग

Signature

संख्या:-लौ०गाड०- १०४७ /७-१-२००६-६००(११५१) /२०३५.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
आपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक १०, नार्द, २००६.

विषय:- जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पयाँ मोटर नार्म के निर्माण हेतु ४.९० हेठो वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महादय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-३७३१/१४०-११५५ (बाग०) दिनांक ०३-०३-२००६ के सन्दर्भ में मुझ चह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महादय जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पयाँ मोटर नार्म के निर्माण हेतु ४.९० हेठो वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-४८ी/यू.सी.पा./०६/१५०/२००५/एफ.सी./२९९१ दिनांक २०-०२-२००६, में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं।

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उक्तेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन नमादा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन् सम्पदा को कोई क्षति पहुँचाया जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
- उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
- वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
- वन क्षेत्र ने परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य डैकाल्यक ईंधन सान्त्रिम उपलब्ध करायेगा।
- लोक निर्माण विभाग के द्वारा पर रन रिसारा जाता ०.८० हेक्टेक्टर अतिरिक्त तत्त्व स्पेन्च द्वारा स्थितिहरण नियमोंहरण गर्ने

9. लोक निर्माण विभाग के व्यव पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नार्ग के दानों आर रिकर्ज फैड स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कर्ता बल की संस्कृतियों एवं सू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाह से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से धूर्व पर्यावरणीय प्रभाव अनुपालन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्टॉक्सि प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तटुपरान्त रख-रखाक के दौरान आर-पास के क्षेत्र की बनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन०पी०वी० की धनराशि एवं दिवांगत कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्पष्टान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यव पर आर०पी०सी० पिलरों से (फौर बियरिंग व फैक डिरिंग लकर) सौनांकन किया जायेगा व प्रभागीय झार वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलक्ष्यों में भी लांकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अपन मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपन व्यव पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. इकल आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ३-२-१९७७ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-जी०आई०:- १०४७ / ७-१-२००६-६००(११५) / २००५ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैकटर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अधियन्ता, स्तर-१, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से


(राजेन्द्र कुमार)

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पथ्या मोटर मार्ग का दाढ़ूहड़ाप तक विस्तार हेतु
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम-बगडुगरा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल- 12.12 है

1:50,000



Plantation Site

वन्यजीव व वनस्पति का विकास
वायेपन इव अध्याय, लालोका